POST GRADUATE PHARMACY ADMISSION COUNSELLING-2025

(PGPAC - 2025)

FOR

Admission to Post Graduate (Pharmacy) Courses in G.P.I, Gulzarbagh, Patna

PROSPECTUS

शैक्षणिक सत्र - 2025



बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board



Scan QR code to visit website

PGPAC-2025 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्र.</u> र	<u>तं</u> <u>विवरण</u>	<u>कंडिका</u>	<u>पष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	-	3
2.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ।	1	3
3.	संस्थान ।	2	3
4.	संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें।	3	3
5.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	4	3-5
6.	अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें ।	5	5-6
7.	PGPAC-2025 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु	6	6
	चयन की प्रक्रिया।		
8.	Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया ।	7	6-8
9.	कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	8	8
10.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	9	8-9
11.	Schedule-1	-	10

पोस्ट ग्रेज्यूएट फार्मेसी नामांकन कॉउन्सेलिंग-2025

(Post Graduate Pharmacy Admission Counselling-2025)

<u>विवरण पुस्तिका</u>

परिचय:

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7 में उपलब्ध पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी पाठ्यक्रमों (Post Graduate Pharmacy Courses) यथा M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग GPAT (Graduate Pharmacy Aptitude Test) Qualified अभ्यर्थियों से, valid GPAT SCORE के आधार पर भरा जायेगा, जो अभ्यर्थियों के GPAT परीक्षाफल प्रकाशन के तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य (Valid) होगा, जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्शद द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग आयोजित कर पूर्ण किया जायेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका PGPAC-2025 की विवरण पुस्तिका के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

1.1 परिभाषायें :

- (i) 'पाठ्यक्रम'से अभिप्राय है स्नात्तकोत्तर स्तर के एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स) एवं एम. फार्म. (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) पाठ्यक्रम।
- (ii) "काउन्सेलिंग" से अभिप्राय है कि बिहार संयुक्त प्रवेज प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित काउन्सेलिंग अर्न्तवीक्षा (Interview), मूल प्रमाण पत्रें की जाँच एवं valid GPAT SCORE के मेधाक्रमानुसार काउन्सेलिंग की प्रक्रिया।
- (iii) ''पर्षद'' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) ''सरकार'' से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (vi) ''बिहार'' से अभिप्राय है पुर्नगठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुर्नगठन 'अधिनियम-2000 की धारा 4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation ACT 2000) के अनुसार परिभाषित है।
- (vii) संस्थान से अभिप्राय है राजकीय गर्मेसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7

2. संस्थान :

राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7 में उपलब्ध स्नात्तकोत्तर फार्मेसी पाठ्यक्रमों में नामांकन, विषय परिवर्तन से सम्बन्धित मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 3. संस्थान / पाठ्यकम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें Schedule-1 में देखें।
- 4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :
 - 4.1 PGPAC-2025 की मेधा सूची (Rank List) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण का लाभ के लिए PGPAC-2025 के आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। PGPAC-2025 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के

लिए काउन्सेलिंग निमित Online आवेदन Submit करने की प्रिक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कंडिका-4.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत			
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %			
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %			
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %			
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %			
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %			
6.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economic	ally 10 %			
	Weaker Sections : EWS)				
	शेष 40 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।				

नोट – (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या– पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ख) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कंडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाचर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यलय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथोपेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

- 4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।
- 4.4 PGPAC-2025 की मेधा-सूची (Rank List) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तद्नुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC/EWS की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए विधिवत जाति प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा। PGPAC-2025 के आवेदक जिस आरक्षण कोटि को Online आवेदन में भरेंगे वही आरक्षण कोटि नामांकन हेतु चयन के लिए मान्य होगा। Online आवेदन में अपने आरक्षण कोटि की प्रविष्टि सही-सही करें, अन्यथा इसमें किसी भूल या त्रृटि के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- 4.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि की मेधासूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य कोटि (Open Merit) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।
- (ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार/माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा-निर्देश जारी किया जाता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।
- 4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota/ Dibyang Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें।
- 4.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलत होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उदेश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ करती है तब उसी आदेश के अनुरूप दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी PGPAC-2025 की कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने के लिए अपने ऑन लाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर DQ (Dibyang Quota) अंकित करें ।

दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का स्वरूप, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र (DQ Certificate) कब तक के लिये मान्य है की अविध / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

- 4.6.3 दिव्यांग कोटा के अर्न्तगत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबिक स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जॉच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। डॉक्टरी जॉंच के लिये अलग से शुल्क देय होगा।
- 5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएं / अर्हताएं :
- 5.1 (i) M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु PCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 55% अंकों, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 50% अंकों (बी. फार्म के चार वर्षों का कुल योग) के साथ बी. फार्म. की विश्वविद्यालयीय परीक्षा उतीर्ण होना आवश्यक है।
 - (ii) बी. फार्म पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 5 वर्षों का पेशेवर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एम. फार्म प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत में 55% से 50% तक की छूट रहेगी।
 - (iii) देश के किसी भी भेषजी संस्थान में भेषजी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुने गये प्रत्येक क्षत्र को राज्य भेषजी परिषद में पंजीकृत होना चाहिए *अथवा* अपने प्रवेश की तारीख से एक महीने के भीतर उसे पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
 - (iv) उपरोक्त प्रावधान PCI (Pharmacy Council of India) के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है।
 - (v) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविश्य में अगर कोई निर्देष दिया जाता है तो तद्नुसार विचारोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

5.2 आयु सीमा:

M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यकमों में प्रवेष हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

5.3 शारीरिक:

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को नामांकन हेत् चयन किया जायेगा। जाँच के लिए अलग से शुल्क देय होगा।

5.4 आवासीय अहर्ता :

केवल वे ही आवेदक PGPAC-2025 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

i. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।

अथवा

ii. जिनके माता-पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं।

अथवा

iii. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।

अथवा

iv. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

v. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों के कर्मचारी हैं।

अथवा

vi. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

6. PGPAC-2025 के आधार पर अध्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रकिया :

- i. नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया काउन्सेलिंग के आधार पर की जायेगी।
- ii. काउन्सेलिंग हेतु जो अभ्यर्थी GPAT Qualified है और जिन्होनें निर्धारित कुल प्रतिशत के साथ वांछित विषयों में B.Pharm उतीर्ण कर लिया है उनकी Valid GPAT SCORE के अनुसार कोटिवार मेधासूची बनायी जायेगी और इसी मेधासूची क्रम से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
- iii. इस चयन प्रक्रिया में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो भी निर्णय परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लेगा, वह सर्वमान्य होगा।
- iv. PGPAC-2025 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता ;

उपर वर्णित कॉडिका-5 एवं 6(i) से 6(iii) तक के अनुसार योग्य (Eligible) आवेदकों / अभ्यर्थियों के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे PGPAC-2025 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में बाद में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रकिया :

PGPAC-2025 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं।

PGPAC-2025 में सिम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के Apply for PGPAC-2025 के Link पर Click करें। इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ़ लें।

i. Step-One (Registration):

For Registration, candidate will have to fill all the information correctly in the Online Application Form as displayed on the computer screen under Step-1. While registering, the candidate should ensure that he / she uses only his / her own or his / her father / mother's email address and mobile number, because all information related to Registration will be sent to that email and Mobile Number. To verify the Mobile Number and email address provided by the candidate, separate verification code will be sent to both of them. Candidate will have to verify the verification code while registering. **Under no circumstances, the mobile no. and email address will be changed during the entire session after verification of mobile number and email address.** After successful registration the candidate will receive a notification of successful Registration on his / her Registered Mobile Number and email address, as mentioned by him. The candidates will login to their account to fill the Application Form completely online and submit it, for which they will have to login to their account using their PGPAC ID and Password given during registration and click on the "Sign In" button and complete the further process. The candidates should keep their Password during registration as confidential. The Board will not be responsible for any consequences.

ii. <u>Step-Two (Multi-Step Application Form)</u>:

(a) Personal Information:

After successful registration, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(b) Contact Details:

After successful completion of Personal Information candidate have to submit their Permanent and Correspondence Address as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(c) Educational Information:

After successful completion of Contact Details candidate have to submit their Educational Information as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(d) Competitive Examination details:

After successful completion of Educational Information candidate have to mention their competitive examination details (GPAT). Then click on "Save & Continue" button.

(e) Upload Photo & Signature:

After successful completion of Competitive Examination details candidate have to upload the Scanned copy of their highly contrast Colour Photograph and Signature at appropriate place as per the instructions provided on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button. (For further details kindly refer to the instructions uploaded on application portal regarding Photo & Signature uploading.)

iii. <u>Step-Three (Application Preview & Final Submit)</u>:

Candidates are advised to check their enteries provided in Step-1 & Step-2 of the application form and if found any anomalies, click on "Back to Edit" button and rectify it. After rectification click on "Save & Continue" button so that the enteries provided by them could get updated.

If all the informations provided during filling of Online Application Form found to be OK on the preview page, click on "Final Submit & Proceed to Payment" button by giving the declaration and pay the Counselling Fee as per instruction provided in Step-Four. If candidates does not do the final submission of the application form and payment of Counselling Fee within prescribed date & time, then their filled up application form will get rejected, for which candidate will be himself solely responsible and no any request will be entertained regarding this.

iv. Step-Four (Payment of Counselling Fee):

After clicking "Final Submit & Proceed to Payment" button, complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded.

- a. Online Payment: Candidate will have to pay the Counselling Fee through Online mode only i.e. Debit Card / Credit Card / Net banking/ UPI, The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.
- **b.** Counselling Fee: Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 2200/- (Two Thousand Two Hundred) only for Unreserved / EWS / BC / EBC / SC / ST / DQ (PwD) candidates.

Note: (i) If the amount paid as Counselling Fee is debited from your account but the fee transaction fails, then in such case you must re-pay the desired full fee and ensure the payment. If your required Counselling fee do not reflect in Board's account within the due date, your application form will remain incomplete and will be rejected and will be rejected due to which will not be eligible for participating in the counselling process.

Your failed transaction will be refunded to your account in due course.

(ii) Any queries regarding failure of Counselling fee you may contact <u>bangalorepgsd@billdesk.com</u> available on online application portal or helpdesk phone number 0612-2220230.

v. Step-Five (Download Confirmation Page & Fee Receipt):

- (i) After successfull payment of Counselling Fee, candidates are advised to download the Confirmation Page & Fee Receipt and re-verify the enteries printed on the confirmation page. **If found any discrepancy it may be corrected during the time of Editing period** as per schedule mentioned in **"Important Dates"**. Finally download the Confirmation Page for future use.
- (ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have successfully filled their online application form and make the payment successfully within due date.
- (iii) For making rectification / correction / editing in online submitted application, the candidate is required to login their account using their PGPAC ID & Password and click on "Sign In" button for getting his account to login where the editing process will be carried out.

Note: a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/rules/category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for PGPAC-2025.

- b. Hard copy of Application Form need not be sent to the Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
- c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
- d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refund / chargeback of paid counselling fee will be entertained.
- e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.
- f. On the basis of merit and availability of seat, the Counselling programme will be published on the Board's Website on 24.09.2025 (8.00 P.M.).
- g. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
- h. Incomplete Application Form will not be entertained and will be summarily rejected.
- vi. (i) After online submission of application, if the applicant finds that while filling up such application the error regarding any entries / photo / signature uploding has / have been made, then he/ she will have opportunity to Edit / Rectify the same on 22.09.2025 (11.59 p.m.).
 - (ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have online filled in application form completely within the specified period.

- (iii) For making rectification / correction / edition in online submitted application, the application is required to enter his / her PGPAC ID & Password and click "Sign in" button for getting his account to login whereby the editing process can be carried out.
- vii. All the certificiates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled dated;
 - (i) GPAT Score Card
 - (ii) Rank Card of PGPAC-2025.
 - (iii) Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Matric / Equivalent Examination.
 - (iv) Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Intermediate Sc. / Equivalent Examination.
 - (v) Passing Certificate / Marks Sheet of B. Pharm.
 - (vi) CGPA to Percentage Conversion Certificate by concerned Institution (if applicable).
 - (vii) Residence Certificate duly issued by concerned C.O./ Revenue Officer.
 - (viii)Caste Certificate duly issued by Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence.
 - (ix) EWS Certificate for current year issued by proper authority (if required).
 - (x) DQ Certificate issued by proper authority (if required).
 - (xi) Six copies of passport size photograph which were uploaded during filling of Online Application Form.
 - (xii) Copy of Aadhar Card.
 - (xiii) Downloaded Print of Online filled Application (Confirmation Page) of PGPAC-2025.

viii. Important dates for PGPAC-2025 Counselling:

(1)	Online Registration starting date 15.09.2025	
(ii)	i) Online Registration closing date : 21.09.2025 (10	0.00 PM)
(iii	ii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI	
	with final submission of the online Application Form of Registered candidate: 21.09.2025 (11	1.59 PM)
(iv	v) Online Editing of Application Form: 22.09.2025 (11	.59 PM)
(v)	Publication of Rank Card & Counselling Programme: 24.09.2025	
(vi	ri) Proposed date of Counselling: 26.09.2025	

8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :

- 8.1 (क) जो आवेदक अपने ऑन लाइन आवेदन / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन हेतु चयन की किसी भी प्रक्रिया में अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोशी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देषों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निश्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे निश्कासित अभ्यर्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
 - (ख) G.P.I, Gulzarbagh, Patna में उपलब्ध M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु चयन स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देष के अनुसार ही कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
- 8.2 इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतू नामांकन शुल्क का र्निधारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- 8.3 PGPAC-2025 के आधार पर मेधा-सूची (Rank List) तैयार करने मे यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 8.4 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रें / अंक पत्रों की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निर्धारित तिथि / समय पर कॉउन्सेलिंग के क्रम में पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।
- 8.5 PGPAC-2025 के आधार पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए PCI के प्रावधान जो स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में संसूचित किया जायेगा उसी प्रावधान को नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया मे लागु किया जायेगा।
- 8.6 PGPAC-2025 से सम्बन्धित सूचना विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रें में प्रकाशित सूचना / सूचनायें या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाएं, इसी विवरण पुस्तिका के अंश होंगे।
- 9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :
- 9.1 PGPAC-2025 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 9.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 9.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन / परिवर्तन होगी या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सुचित कर दिया जायेगा।

- 9.4 समय-समय पर **Website** के माधयम से PGPAC-2025 की कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सूकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 9.5 PGPAC-2025 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका / आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम / सूचना को परिवर्तित / विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 9.6 PGPAC-2025 के लिए किसी आवेदक की उम्मीदवारी अगर रद्द की जाती है तो इसे सम्बन्धित आवेदक को स्चित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 9.7 PGPAC-2025 की मेधासूची में सिम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चे से स्वयं कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों / योग्यता एवं पहचान की जाँच हेतु सूनिश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।
- 9.8 PGPAC-2025 की मूल प्रमाण पत्रें / अभिलेखों के साथ स्वयं केवल उपस्थित होने से ही नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।
- 9.9 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को PGPAC-2025 की कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने की अनुमित मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् इसका पता चलता है तो वह मेधासूची में सिम्मिलित होने के बाद भी नामांकन हेतु चयन या नामांकन का दावा नहीं कर सकेगा।
- 9.10 अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन हेतु आवंटनादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 9.11 नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, नामांकन घोशित तिथि समाप्त होने पर किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर भरी नहीं जा सकेंगी।
- 9.12 PGPAC-2025 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित / आवेदन से सम्बन्धित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों में दायर किये जायेंगे सिर्फ वही मान्य होंगे।
- नोट: पी0 सी0 आई0, नई दिल्ली से स्नात्तकोत्तर पाठयक्रम की मान्यता के पश्चात ही नांमाकन लिया जा सकेगा।

10

Schedule-1

PGPAC-2025

INSTITUTION	COURSE	Total Seats	1/3 Seats for Female	Distribution of Seats														
				UR	F_UR	sc	F_SC	ST	F_ST	EBC	F_EBC	ВС	F_BC	RCG	EWS	F_EWS	Total	DQ*
G.P.I., Patna	Pharmaceutics	12	4	3	2	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	12	1
G.P.I., Patna	Pharmacertical Chemistry	9	3	3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	9	0
	Total	21	7	6	3	2	1	0	0	3	1	2	1	0	1	1	21	1

नोट :

- (i) संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षणवार सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्त्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जोयगा।
- (ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सिम्मिलित हैं ।

POST GRADUATE PHARMACY ADMISSION COUNSELLING-2025

(PGPAC - 2025)

आवश्यक

Important Dates for PGPAC-2025 Counselling:							
ı.	Online Registration Starting Date	:	15.09.2025				
II.	Online Registration Closing Date	:	21.09.2025 (10:00 PM)				
III.	Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI with final submission of the Online Application Form of Registered Candidate	:	21.09.2025 (11:59 PM)				
IV.	Online Editing of Application Form	:	22.09.2025 (11:59 PM)				
V.	Publication of Rank Card & Counselling Programme	:	24.09.2025				
VI.	Proposed date of Counselling	:	26.09.2025				

Website : https://bceceboard.bihar.gov.in

Helpdesk Email Id : helpdesk.bceceboard@bihar.gov.in

Helpdesk Phone Number : 0612-2220230

बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board



visit website